न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. SPL /2017

प्रार्थी

श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री कसुआजी जाति माली निवासी मीरगढ ग्राम पंचायत मूंगथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत मूंगथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि श्री हरीराम जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री पुखराज पुत्र श्री कसुआजी जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्री पुखराज पुत्र श्री कसुआजी जाति माली निवासी मीरगढ तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से।
3. श्री भैरूपालसिंह बालावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या चार की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 08.06.2017 क्षेत्रफल 1531.125 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा एवं अप्रार्थी संख्या चार की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत द्वारा जरिए वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रा[illegible] आढा ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों [illegible] व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत मूंगथला द्वारा अप्रार्थी [illegible] पट्टा संख्या 25 दिनांक 08.06.2017 क्षेत्रफल 1531.125 जारी किया गया है। यह है कि श्री कसु[illegible]पुत्र श्री रघुनाथ जाति माली के मालिकी स्वामित्व व पु[illegible] सम्पत्ति का मकान [illegible]ण्ड के गांव मीरगढ में आया हुआ है एवं श्री कसुआजी के चार पुत्र क्रमशः श्री गोमाराम, श्री पुखराज, श्री हरीराम एवं श्री रमेशचन्द्र है एवं श्री कसुआजी ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूखण्ड मय मकान के चार भाग किए थे, जिसमें उत्तरी भाग में प्रार्थी रमेशचन्द्र एवं

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उसके लगते दक्षिणी भाग का भूखण्ड श्री हरीराम के हिस्से में आया एवं उसके लगते दक्षिणी तरफ वाला भाग श्री गोमाराम के हक हिस्से में तथा उसके आगे का दक्षिण वाला अन्तिम भाग श्री पुखराज के हक हिस्से में आया। यह है कि उक्त सम्पति में प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र व श्री हरीराम के हिस्से में आए भूखण्ड पर प्रार्थी व श्री हरीराम ने संयुक्त रूप से रकम लगाकर मकान बनाया था तथा उक्त मकान में बिजली कनेक्शन प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र के नाम से लिया गया था। यह है कि उक्त पट्टा जिस मकान का देना बताया है, उक्त मकान प्रार्थी व श्री हरीराम के मालिकी स्वामित्व का है, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या एक व दो को भलीभांति है। यह है कि प्रार्थी व श्री हरीराम के मालिकी स्वामित्व की भूमि पर निर्मित मकान व भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अकेले अप्रार्थी संख्या दो को जारी करने का अधिकार नहीं है, इसके उपरान्त भी उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी प्राईवेट अध्यापक है, जो जालोर में निवासरत है, जिससे वह त्यौहार, विवाह प्रसंगों में ही गांव आता है एवं जब भी गांव आता है तब अपने मकान का उपयोग एवं उपभोग करता है। यह है कि प्रार्थी का भाई श्री हरीराम है, जिसक पत्नि अप्रार्थी संख्या दो है एवं श्री हरीराम ने अपने पत्नि के नाम से दिनांक 18.05.2017 को पट्टा देने के लिए आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 14 बनाकर कार्यवाही प्रारम्भ की एवं मौका निरीक्षण हेतु कमेटी के तीन सदस्य नियुक्त किए, जिन्होने स्थल निरीक्षण कर दिनांक 19.07.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन रिपोर्ट आने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या एक ने ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा दिनांक 08.06.2017 को जारी कर भारी अनियमितता बरती है, जिससे उक्त पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि उक्त पट्टे जारी करने की कार्यवाही का पता चलने पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या तीन व चार की ओर से दिनांक 05.06.2017 को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन उक्त आपत्ति का हवाला भी अप्रार्थी संख्या एक ने अपने आदेशिका में दर्ज नहीं किया गया है तथा ग्रामवासी मीरगढ की तरफ से एक कूटरचित प्रार्थना पत्र तैयार कर बाद की तारीख का लेकर उसमें कांट–छांट कर उसका आधार बनाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को नजरअंदाज किया गया है। यह है कि उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व किसी भी निष्पक्ष मौतबिरान के बयान कलमबद्ध नहीं किए गए है। यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर गौर नहीं कर उक्त पट्टा दिनांक 08.06. 2017 को जारी किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि उक्त पट्टे की सम्पत्ति प्रार्थी व श्री हरीराम की संयुक्त रूप से है तथा उक्त मकान के दक्षिणी भाग का आधा पट्टा हरीराम व उसकी पत्नि को दिया जाता है, तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या तीन व श्री सोहनलाल पुत्र श्री पुखराज ने हस्ताक्षर करके दिए। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त भूखण्ड के मालिकी स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई जांच पडताल किए बगैर पट्टा जारी करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है, जिससे यह पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत मूंगथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 25 दिनांक 08.06.2017 क्षेत्रफल 1531.125 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन [illegible] लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का प[illegible] किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने [illegible] अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 [illegible] के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा [illegible] संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है यह है कि पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि ना तो कोई मकान श्री कसुआ पुत्र श्री रघुनाथ माली का आया हुआ है एवं न ही श्री कसुआ ने कभी अपने मकान का बंटवाड अपने चारों पुत्रों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:48 IST
Reason: SelfAttested

B/10
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मध्य किया है और न ही कोई मकान श्री रमेशचन्द्र व श्री हरीराम ने संयुक्त रूप से रकम लगाकर बनाया है, जिसमें श्री रमेशचन्द्र के नाम से बिजली कनेक्शन लिया हो, बल्कि वास्तविकता यह है कि मन्दिर के पीछे वाले भाग का भूखण्ड प्रारम्भ से ही अप्रार्थी संख्या दो व उसके परिवार के कब्जे आधिपत्य का ही है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो व उसके पति द्वारा पक्के मकान का निर्माण कराया हुआ है एवं उसके दक्षिणी दिशा का पास का भूखण्ड अप्रार्थी संख्या तीन श्री गोमाराम के कब्जे आधिपत्य का है, जो वर्तमान में खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या तीन श्री गोमाराम सपरिवार अपने हिस्से की कृषि की भूमि पर बने मकान पर अन्यत्र जगह रहता है। अप्रार्थी संख्या तीन के दक्षिण दिशा में प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र का खाली भूखण्ड है, जिस पर पहले श्री कसुआजी का कच्चा मकान बना हुआ है जिसे सबसे छोटा भाई होने के नाते प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र को उसके बाकी के भाईयों के द्वारा दे दिया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन लिया था एवं प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र के उक्त भूखण्ड के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या चार का मकान है। इस प्रकार सभी भाईयों के स्वतंत्र कब्जे आधिपत्य के अलग–अलग भूखण्ड थे, जिसमें से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या चार ने अपने–अपने भूखण्डों के पट्टे बनवाए या नहीं यह उनको ही पता है। यह है कि उक्त मकान वाले भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियमानुसार बाद जांच व सुनवाई के अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया है, जिसमें गांव के लोगों ने भी ग्राम पंचायत को अनापत्ति बावत् लिखकर दिया था क्योंकि गांव के मन्दिर के पीछे की भूमि होने से ग्राम पंचायत में कोई मन्दिर की भूमि होने की आपत्ति नहीं होने से ग्राम वासियों से अनापत्ति लेकर बाद जांच विधि अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है एवं पट्टेशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा बैंक से 10 लाख का ऋण लेकर लोगों से उधार राशि का भुगतान किया गया । यह है कि प्रार्थी का स्वयं का भूखण्ड मौके पर आज पडा है जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थी संख्या चार कर रहा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के पति द्वारा पुश्तैनी कृषि भूमि के बंटवारे का वाद अप्रार्थी संख्या चार व प्रार्थी के विरूद्ध किया था, जिस वाद को विड्रो करने हेतु अनुचित दवाब बनाने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या चार के बहकावे में आकर गलत आधारों पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी ने गलत रूप से अप्रार्थी संख्या चार से आपत्ति कराई होगी जो ग्राम पंचायत द्वारा बाद विधि अनुसार सुनवाई व जांच के एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों के द्वारा वास्तविकता लिखकर देने से अप्रार्थी संख्या दो के हक में पट्टा जारी हुआ है, जो सही है। यह है कि प्रार्थी सरकारी अध्यापक की नौकरी में होते हुए भी ऐसे कूटरचित दस्तावेजों की रचना कर उसके सहारे अप्रार्थी संख्या दो के मकान को गलत रूप से हडपने की बदनियत से उसमें अपना हक हिस्सा गलत रूप से बता रहा है, जो कृत्य गैर कानूनी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना अप्रार्थी संख्या दो को हैरान–परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जिसे खारिज किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या चार की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री भेरूपालसिंह बालावत द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि वाद ग्रस्त सम्पत्ति का मौके पर कसुआजी के वारिसानों में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य बंटवाड किया हुआ है और उक्त बंटवाड के अनुसार सभी वारिसान मौके पर काबिज है लेकिन अप्र[illegible] एक द्वारा बिना जांच पडताल किए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या तीन व चार [illegible]रअंदाज करते हुए अप्रार्थी संख्या दो के नाम से पट[illegible] विरूद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमा[illegible] प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए उक्त विवादित पट्टा संख्या [illegible] दिनांक 08.06.2017 क्षेत्रफल 1531.125 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो व तीन एवं चार की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, मूंगथला द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 25 दिनांक 08.06.2017 क्षेत्रफल 1531.125 वर्गफुट जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–

157.–पुराने गृहों का विनियमितिकरण– जहाँ व्यक्ति आवादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल:

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षा के दौरान) = 200 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत मूंगथला द्वारा उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के हक में नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा दिनांक 18.05.2017 को ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा उसी दिन तीन सदस्यों की समिति का गठन किया एवं दिनांक 20.05.2017 की आदेशिका में यह उल्लेख किया गया है कि स्थल आबादी में होने या न होने की पत्वारी रिपोर्ट पेश हो चुकी है लेकिन रेकर्ड पर ऐसी कोई भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह है कि दिनांक 05.06.2017 की आदेशिका में यह उल्लेख किया गया है कि मौका निरीक्षण हो चुका है तथा मौका निरीक्षण कमेटी की राय प्राप्त हो चुकी है जबकि मौका निरीक्षण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.07.2017 को प्रस्तुत की, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट आने से पूर्व ही दिनांक 08.06.2017 को उक्त विवादित पट्टा जारी कर दिया, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। यह है कि पंचायत नियमों के अनुसार मौका निरीक्षण समिति की रिपोर्ट आने पर भूमि के विक्रय का अस्थाई निर्णय लिया जाकर मियादी अवधि का आपत्ति इश्तिहार जारी होकर भूमि स्थल सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र मौतबिरानों की मौजूदगी में चस्पा किया जाता है जबकि उक्त प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त विवादित पट्टा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान–2017 में आयोजित शिविर में जारी कि[illegible] एवं उक्त पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र, अप्रार्थी संख्या तीन श्री गो[illegible]लाल के द्वारा दिनांक 05.6.2017 को ग्राम पंचायत मूंगथ[illegible] प्रस्तुत की, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा शामिल करते हुए इस आध[illegible] है कि उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र आपसी द्वेष भावना पूर्वक दिया गया है, जो उ[illegible] प्रतीत नहीं होता है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा बैठक दिनांक 05.06.2017 के प्रस्ताव संख्या 04 के निर्णय के अनुसार उक्त आपत्ति को खारिज किया जाना बताया है जबकि दिनांक 05.06.2017 की आदेशिका में यह कही पर अंकित नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि बिना मौका निरीक्षण रिपोर्ट के ही पट्टा जारी किया जाना विधि विरूद्ध है। यह है कि पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का निर्णय दिनांक 08.06.2017 को लिया गया तो इसके साथ ही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो जाने से दिनांक 04.08.2017 को श्री कसुआजी के पुत्रों व अप्रार्थी संख्या दो व तीन की आपत्ति नहीं होने का प्रमाण पत्र लेने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड पुश्तैनी भूखण्ड है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या दो के पति श्री हरीराम का संयुक्त मालिकी स्वामित्व है, इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रार्थी के नाम से जारी विद्युत कनेक्शन का बिल भी प्रस्तुत किया गया है परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त विद्युत कनेक्शन विवादग्रस्त भूखण्ड का ही है या अन्य किसी भूखण्ड का। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या दो के पति के संयुक्त मालिकी का है एवं न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ताओं ने कोई ठोस सबूत पेश किए है। चूंकि उक्त विवादित पट्टे का जारी करने की प्रक्रिया संदेहास्पद प्रतीत होने से यह न्यायालय पट्टा संख्या 25 दिनांक 08.06.2017 को न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मूंगथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 08.06.2017 क्षेत्रफल 1531.125 वर्गफुट को निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत मूंगथला को निर्देशित किया जाता है कि कब्जे एवं मालिकी स्वामित्व की जांच कर नियमानुसार पुनः नए सिरे पट्टा जारी करने की कार्यवाही संपादित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सर इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:20:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner